

-: 1:-

**—:: न्यायालय : जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0) ::—**

(पीठासीन — सुश्री शोभा पोरवाल)

(संस्थित दिनांक 13.10.2016)

1. करुणा उर्फ चेतना पति स्व० श्री देवेन्द्रसिंह,  
गेहलोत आयु 58 वर्ष, निवासी 43, महात्मा गांधी मार्ग,  
अलीराजपुर जिला अलीराजपुर (म.प्र.),
2. आदित्य पिता विजयसिंह भाटी आयु 38 वर्ष,  
निवासी 43, महात्मा गांधी मार्ग, अलीराजपुर (म.प्र.),  
वादार्थ संरक्षक— श्रीमति करुणा उर्फ चेतना गेहलोत,  
निवासी 43, महात्मा गांधी मार्ग, अलीराजपुर (म.प्र.),

..... अपीलार्थीगण/वादीगण

विरुद्ध

1. जगन्नाथ पिता रामनारायण उर्फ माणकलाल राठोड़ आयु 57 वर्ष,
2. अश्विन पिता जगन्नाथ राठोड़ आयु 37 वर्ष,  
दोनों निवासीगण जवाहर मार्ग सोरवा रोड़ गजेन्द्र मेकेनिक ऑटो,  
गैरेज के सामने अलीराजपुर (म.प्र.),
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.),
4. म.प्र. शासन द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अलीराजपुर,  
नगर पालिका अलीराजपुर (म.प्र.),

..... प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

-----  
अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा :- श्री अशोक गेहलोत अधि०।  
प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण क.1 व 2 द्वारा :- श्री श्रीकांत बाहेती अधि०।  
प्रत्यर्थी क. 3 व 4 :- पूर्व से एक पक्षीय  
-----

**—//आदेश//—**

(आज दिनांक 19 मई सन् 2017 को उद्घोषित)

अपीलार्थीगण की ओर से आदेश 41 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. के अधीन यह नियमित दीवानी अपील न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अलीराजपुर (श्री आशीष ताम्रकार) के व्यवहार वाद क्रमांक 11-ए/2016 में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 14.07.2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई हैं, आलोच्य निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का स्वत्व घोषणा तथा शाश्वत व्यादेश पाने संबंधी वाद निरस्त किया गया है।

2— अपीलार्थीगण/वादीगण का मामला संक्षेप में यह रहा है कि वादीगण भाई-बहन है जो विजयसिंह पिता अदेसिंह भाटी के विधि वारिसान वादीगण के स्वत्व तथा आधिपत्य तथा मालिकी के भूमि वार्ड नं. 13 अलीराजपुर स्थित भूमि दिनांक 02.12.1960 को वादीगण के पिता

-: 2:-

अदेसिंह पिता बच्चुसिंह भाटी निवासी अलीराजपुर द्वारा नगरपालिका अलीराजपुर से दिनांक 02.12.1960 को भूमि शौचालय के निर्माण के लिये तथा पड़दी बनाने के लिये विक्रय पत्र क्रमांक 112 दिनांक 02.12.1960 के द्वारा खरीदी थी। उक्त भूमि पश्चिम दिशा में 15 फीट, उत्तर-दक्षिण दिशा में 3 फीट 3 इंच, पूर्व दिशा में नगरपालिका अलीराजपुर की भूमि होकर इस भूमि के पश्चिम दिशा में नगरपालिका अलीराजपुर की भूमि तथा जामा मस्जिद मार्ग है। इस भूमि के उत्तर दिशा में वादीगण के पिता स्वर्गीय विजयसिंह पिता अदेसिंह भाटी के नाम का स्वयं का मकान नंबर 43, महात्मा गांधी मार्ग अलीराजपुर है तथा दक्षिण दिशा में नगरपालिका अलीराजपुर की भूमि और आगे सुभाष मार्ग है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के मकान नंबर 43, महात्मा गांधी मार्ग अलीराजपुर से लगी हुई भूमि है, उक्त भूमि वादीगण के हक आधिपत्य तथा स्वत्व की भूमि है जिसमें 1 सीमेंट की कुण्डी टैंक भी वादीगण का बना हुआ है, वर्तमान में वादीगण के पिता स्वर्गीय विजयसिंह पिता अदेसिंह भाटी के नाम पर उक्त भूमि है और उसका हिस्सा है।

3— वादीगण ने वादपत्र में यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 01.02.13 से प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 ने प्रतिवादी क्रमांक 4 के सहयोग से वादग्रस्त भूमि के पास हरे पर्दे के आड़ लगाकर भूमि में निर्माण करने की आड़ में वादी की भूमि तथा उससे लगी हुई नगरपालिका की भूमि को अवैध निर्माण कर हड़पने की योजना बना रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा वादीगण के इस वादग्रस्त भूमि के नजदीक किये जा रहे नवनिर्माण की आड़ में वादीगण की भूमि में बने टैंक एवं कुण्डी से सार्वजनिक प्याउ बनाना चाहते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा 2 जानबूझकर मकान के निर्माण को आम जनता से छिपाकर हरे रंग के पर्दे लगाकर तथा पर्दे के अंदर वादीगण की भूमि को छिपाकर कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की बदनीयती वादीगण की पूर्व-पश्चिम दिशा में 15 फीट भूमि एवं उत्तर-दक्षिण दिशा 3 फीट 3 इंच भूमि को हड़पना चाहते हैं एवं इसके साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 नगरपालिका अलीराजपुर की सुभाषमार्ग से लगी भूमि तथा वादीगण की पूर्व-पश्चिम दिशा में 15 फीट की वादग्रस्त भूमि के बाद पूर्व दिशा में तथा दक्षिण में नगरपालिका अलीराजपुर की भूमि हड़पने की ईच्छा रखते हुये गड़डे खोद रहे हैं।

4— वादीगण ने वादपत्र में यह भी व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 नगरपालिका अलीराजपुर को सूचना पत्र दिनांक 03.02.2014 तथा प्रतिवादी के जवाबी सूचनापत्र वादीगण द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर द्वारा वादीगण को अवैध

-: 3:-

निर्माण नहीं करने के लिये सचेत किया गया था, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 गाली-गलोच करके वादग्रस्त भूमि तथा नगरपालिका भूमि में अवैध निर्माण करने की धमकीया देते हैं। दिनांक 01.12.2013 से हरे पर्दे की आड़ में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 अपनी भूमि में निर्माण करने की आड़ में वादीगण की वादपत्र में वर्णीत भूमि तथा उससे लगी हुई नगरपालिका की भूमि को अवैध निर्माण कर हड़पने की योजना बना रहे हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा अवैध तरीके से तलघर का निर्माण कर आसपास के मकानों तथा उसमें रहने वाले वादीगण के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के मकान से लगा हुआ उत्तर दिशा में स्थित वादीगण का मकान कभी भी गिर सकता है और अवैध रूप से तलघर का निर्माण करने से वादीगण के मकान नंबर 43, महात्मा गांधी मार्ग अलीराजपुर की नींव कमजोर हो गई तथा उसमें निवास करने वाले वादीगण तथा किरायेदार को जन-धन हानि हो सकती है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 और 4 के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि में वादीगण के स्वत्व की घोषणा तथा वादग्रस्त भूमि अवैध निर्माण नहीं करने तथा अवैध कब्जा नहीं करने के संबंध में शाश्वत व्यादेश पाने के लिये प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी नगरपालिका अलीराजपुर को विधिक सूचना पत्र धारा 319 नगरपालिका अधिनियम के तहत दिया है, किन्तु नगरपालिका के द्वारा आज तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के अवैध कृत्य में प्रतिवादी नगरपालिका भी सम्मिलित है तथा पर्दे के पीछे से प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को सहयोग कर रही है तथा नगरपालिका कार्यालय प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के निर्माणस्थल से मात्र 150 मीटर की दूरी होने के बाद भी प्रतिवादी नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय अलीराजपुर की जानकारी होने पर भी वादीगण के द्वारा अवैध तलघर का निर्माण किया जा रहा है।

5— प्रतिवादी क्रमांक 4 नगरपालिका अलीराजपुर के नगरपालिका अधिकारी को भी सूचना दी गई थी कि तत्काल वादग्रस्त स्थान के पास प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसे रोके अन्यथा वादीगण को जो नुकसानी होगी उसकी भरपाई के लिये नगरपालिका उत्तरदायी होगी तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 को भी अवैध निर्माण कार्य की जानकारी सूचना पत्र के माध्यम से दी गई, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के द्वारा नहीं की गई। वाद कारण दिनांक 01.12.2013 को उत्पन्न हुआ है तथा निरंतर चालु है, तब से प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 वादग्रस्त भूमि के

-: 4:-

पास में हरे पर्दे की आड़ लेकर भूमि में निर्माण वाद चरण 1 में वर्णित वादी की भूमि तथा उससे लगी हुई नगरपालिका की भूमि को अवैध निर्माण कर हड़पने की योजना बना रहे हैं।

6— प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की के अपने जवाब दावे में यह अस्वीकार किया है कि वादीगण के स्वत्व तथा आधिपत्य तथा मालकी की भूमि नगर अलीराजपुर के वार्ड क्रमांक 13 में स्थित है और अदेसिंह भाटी ने नगर पालिका अलीराजपुर से दिनांक 02.12.1960 को इस चरण में वर्णित चतुर्सीमा की भूमि शौचालय के निर्माण के लिये तथा पडदी बनाने के लिये क़य की थी। वादग्रस्त भूमि वादीगण के मकान नम्बर 43 महात्मा गांधी मार्ग अलीराजपुर से लगी हुई भूमि है तथा उक्त भूमि वादीगण के हक आधिपत्य तथा स्वत्व की भूमि है, जिसमें एक सीमेन्ट की टैंक कुण्डी बना हुआ है प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा यह भी अस्वीकार किया है। कथित विक्रय लेख दिनांक 02.12.1960 से वादीगण को किसी प्रकार से न तो स्वत्व व न ही आधिपत्य प्राप्त होता है। दावे में विशेष आपत्ति में स्व० विजयसिंह के वादीगण के अलावा अन्य विधिक उत्तराधिकारी मौजूद हैं, जिनमें विजयसिंह की एक पुत्री संगीता नाम की विद्यमान होकर नगर अलीराजपुर में ही रहती है। अतः दावा आवश्यक पक्षकार के अभाव में व नान जाईन्डर ऑफ पार्टीज की बाधा आती है, इसलिये दावा चलने योग्य नहीं है। दावे में वादीगण ने कब्जे की पुष्टि का मुल्यांकन कम किया है और दाव विधिक नोटिस की अवधि के पूर्व पेश किये जाने से प्रि-मेच्युअर है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त सभी आधारों पर वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

7— प्रतिवादी क्रमांक 4 की ओर से वादी के वाद को पूर्ण रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 उनकी भूमि के नाप के अनुसार ही निर्माण की अनुमति प्रदान किया जाना बताया है, उसने किसी भी शासकीय या अन्य के हिस्से की भूमि को अतिक्रमण करने की हिदायत नहीं दी। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा अपने मकान में बनाये गये तल घर अनुमति के बाद बनाये गये हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के निर्माण उनकी भूमि पर होकर अनुमति अनुसार है, अतः उक्त सभी आधारों पर दावा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

8— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर वाद विषयों की रचना की गई। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्य के विवेचन पश्चात्, आलोच्य निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण/ वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व एवं

-: 5:-

आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं पाते हुए स्वत्व घोषणा तथा शाश्वत आदेश संबंधी वादीगण का वाद खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से विभिन्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि:-

**क्या आलोच्य निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से हस्तक्षेप योग्य है?**

**-::सकारण निष्कर्ष:-**

9- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें वादी श्रीमती करुणा वा.सा.-1 के द्वारा अपने आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.स. के अधीन दिये गये शपथ पत्र में अपने वादपत्र के अभिवचनों को उल्लेखित करते हुये अभिकथन किया है तथा प्र.पी.-1 के नजरी नक्शा वादग्रस्त स्थान के संबंध में भूमि विक्रय पत्र प्र.पी.-2 तथा प्रतिवादीगण को दिया गया सूचना पत्र प्र.पी.-3 वादी की ओर से जवाब सूचना पत्र तथा उनकी रसीद प्राप्त अभिस्वीकृति प्र.पी.-4 लगायत 8 प्रस्तुत की है। इस साक्षी को प्रतिवादी की ओर से साक्षी को वाद प्रस्तुत करने का हक है या अथवा इस संबंध में विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है तथा प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि वादिनी जिस मकान में रहती है, उसमें अन्य व्यक्तियों के भी हिस्से हैं, परन्तु जैसा कि मुख्य रूप से विवादित मकान के पीछे पृथक से लेट्रींग पदड़ी बनाने के लिये नगर पालिका द्वारा अदेसिंह आत्मज बच्चुसिंह के पक्ष में विक्रय की गई भूमि के संबंध में है।

10- प्रतिवादी की ओर से यह अभिवचित किया गया है कि उसके पिता रामानारायण के स्वामित्व के मकान होकर उन्होंने आधा मकान जगन्नाथ को बंटवारे में दिया और उसी पर उसने स्वीकृत नक्शे के अनुसार अपना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तथा विवादित भूमि के संबंध में कोई अतिक्रमण नहीं किया तथा यह भी बचाव लिया गया है कि अदेसिंह को उक्त भूमि विक्रय ही नहीं की गयी थी। प्रतिवादी की ओर से इस संबंध में बंटवारा लेख की फोटोप्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है तथा जगन्नाथ प्र.सा.-1 के द्वारा अपनी ओर से निर्माण संबंधि अनुमति पत्र प्र.डी.-1, रसीद प्र.डी.-2 व राजा के समय का पुराना पट्टा प्र.डी.-3 पेश किया है।

11- वादी श्रीमति करुणा वा.सा.-1 व उसके साक्षी सतीष वा.सा.-2 के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादी का मकान पूर्वमुखी होकर उस ओर महात्मा गांधी मार्ग है



-: 6:-

तथा पश्चिम तरफ जामा मस्जिद होकर आम सड़क है, उसमें यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादी जिस स्थान में निवास कर रही है एवं प्रतिवादी के मकान पास पास बने हुए है तथा दोनो ही पक्षों के साक्षियों के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पूर्व से कई वर्षों से यह मकान बना हुआ होकर अदेसिह तथा रामनारायण व उनके परिवार के लोग वहा रह रहे है। नगर निगम की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादी क. 1 व 2 के द्वारा उनकी भूमि की नाप के अनुसार ही निर्माण की अनुमति प्रदान की गई तथा उन्हें किसी भी शासकीय अन्य के हिस्से की भूमि को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गयी थी एवं तल घर अनुमति के बाद बनाये है। प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 ने जो निर्माण उनकी भूमि पर किये होकर अनुमति अनुसार है।

12— वादी के द्वारा जो दावे के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार वादी का मकान प्रतिवादी के मकान की तरफ वाली साईट में पूर्व पश्चिम लम्बाई में 15 फिट, उत्तर दक्षिण चौड़ाई 3.3 फिट की भूमि जो नगर पालिका की होकर उस पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण करना बताया गया है, उसे ही वादग्रस्त भूमि दर्शाया है। चूंकि वादिनी का अदेसिंह के परिवार से होना साक्षियों के कथनों में आया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय के पैरा 10 में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.-2 को तीस वर्ष से अधिक पुराना होने के आधार पर धारा 90 साक्ष्य अधि० के अधीन उसके सही होने की उपधारणा की है जो विधि सम्मत है, क्योंकि इसके खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है तथा नगर पालिका द्वारा भी अपने जवाब में मात्र प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत नक्शा अनुसार निर्माण करना बताया है इस संबंध में कोई खण्डन में अभिवचन नहीं किये है कि नगर पालिका द्वारा उक्त प्र.पी.-2 का दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है।

13— प्रत्यर्थागण के द्वारा जो न्याय दृष्टांत मोहिनुददीन व अन्य विरुद्ध अध्यक्ष मुंशीपल कमेटी खरगोन 1993 जे.एल.जे. 67 प्रस्तुत किया हैं, उसमें कब्जे संबंधी दस्तावेज के अभाव व अन्य साक्ष्य के अभाव में कब्जा सौंपा जाना नहीं माना था, परन्तु वर्तमान प्रकरण में तथ्य भिन्न है साथ ही प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में तीस वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज के सही होने की धारण करने पर भी उसकी अंतरवस्तु सही होने की धारणा नहीं की जा सकती जब तक कि कब्जा सौंपे जाने के सबूत ना हो। के संबंध में भी अभिनिर्धारित

-: 7:-

किया गया है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में इस संबंध में साक्ष्य आयी है। अतः प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का लाभ प्रत्यर्थीगण को प्राप्त नहीं होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विषय क्रमांक 1 को प्रमाणित नहीं पाने में त्रुटि की है। स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया है, उसमें विशेष आपत्ति में यह उल्लेख किया है कि स्व० विजयसिंह के वादीगण के अलावा अन्य विधिक उत्तराधिकारी मौजूद हैं, जिनमें विजयसिंह की एक पुत्री संगीता विद्यमान होकर अलीराजपुर में रहती है। अतः दावा आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रचलन योग्य नहीं है। प्रतिवादी की ओर से इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि विजयसिंह अदेसिंह का पुत्र है। यद्यपि साक्षियों को इस संबंध में प्रतिपरीक्षा की गई है, परन्तु मात्र इस आधार पर वादी का स्वत्व समाप्त नहीं हो जाता तथा वादीगण अदेसिंह के पक्ष में नगर पालिका द्वारा जारी की गई भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण करने से रोका जाने के संबंध में भी वाद प्रस्तुत किया है तथा उनका अदेसिंह के वारिसगण होना भी प्रतिवादीगण ने स्वयं स्वीकार किया है। यद्यपि अन्य वारिस भी होना बताया है। ऐसी स्थिति में दावा लगाने का अधिकार नहीं है, यह नहीं माना जा सकता।

14— अभिलेख पर आयी मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्य से विवादित स्थान के संबंध में वास्तविक वस्तुस्थिति कमिशनर द्वारा स्थान का निरीक्षण करने के पश्चात दी गई जानकारी के आधार पर ही किया जा सकना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस संबंध में उभयपक्ष के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आदेश 26 नियम 9 व्य.प्र.सं. के अधीन इस संबंध में न्यायालय द्वारा कमिशन जारी किया जा सकता है, ताकि वाद का उचित रूप से निराकरण किया जा सके।

15— अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलोच्य निर्णय एवं जयपत्र अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय की ओर आदेश 41 नियम 23 व्य.प्र.सं. के अन्तर्गत इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में तथा अतिक्रमण के संबंध में आवश्यक बिन्दुओं पर कमिशन जारी कर प्रतिवेदन प्राप्ति पश्चात उचित रूप से साक्ष्य लिये जाकर प्रकरण का पुनः विधिवत निराकरण करे।

उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.06.17 को उपस्थित रहे।

दीवानी अपील क्रमांक 19-ए/2016  
फाईलिंग नम्बर आर.सी.ए./100258/2016

-: 8:-

प्रकरण का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में घोषित किया

जाकर हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(सुश्री शोभा पोरवाल)

जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर(म.प्र.)

(सुश्री शोभा पोरवाल)

जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर(म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)